राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संचिका सं०: SHSB/MCH/130/2013
पत्र सं०: 1108 दिनांक 29/5/2020

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

1. सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
   जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार
2. सभी सिविल सर्जन–सह सदस्य सचिव
   जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषय: स्वास्थ्य संस्थानो तथा VHSND (आरोग्यदिवस) सत्रों पर मातृ स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के संबंध मे।

प्रसंग: भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक D.O. No. 1762075/2020-Imm दिनांक 24.05.2020

महाशया / महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना हैं कि भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक D.O. No. 1762075/2020-Imm दिनांक 24.05.2020 के आलोक में प्रसव पूर्व जाँच, प्रसव पश्चात् जाँच स्वास्थ्य संस्थानो तथा आरोग्य दिवस सत्रों पर किया जाना है।

ज्ञात हो कि COVID-19 के संक्रमण के दौरान नियमित स्वास्थ्य सेवाओं को पुनः शुरू करने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा समय–समय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए है। इसी क्रम में दिनांक 24.05.2020 को भारत सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार ANC/PNC कार्य स्थाई सत्रों के साथ–साथ Outreach सत्रों पर किया जाना है।

Outreach सत्रों पर COVID-19 से संक्रमित Containment zone को छोड़ कर अन्य सभी सत्र स्थलों पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश के साथ–साथ निम्नलिखित बिंन्दुओं को भी लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- आशा के द्वारा प्रत्येक गर्भवती माता को चिन्हित कर लाईन–लिस्टिंग किया जाए तथा सत्र शुरू होने के एक दिन पहले प्रत्येक गर्भवती माता तथा बच्चों को इनके सत्र पर अलग–अलग आने का समय दिया जाए।
- सत्र पर आने वाले प्रत्येक लाभुक COVID-19 से बचाव संबंधित जानकारी ANM के द्वारा दी जाए।
- प्रत्येक लाभुक को सत्र पर मास्क लगाकर तथा एक परिजन के साथ ही आने की सलाह दी जाए तथा सत्र पर शारीरिक दूरी का पालन किया जाए।
- प्रत्येक गर्भवती माता का ANC (वजन, बी.पी., हिमोग्लोबिन तथा यूरिन टेस्ट) तथा धात्री माताओं का स्वास्थ्य जाँच COVID-19 के संबंध में दिये गए दिशा निर्देश के अनुसार किया जाए।
- उच्च जोखिम तथा गंभीर रूप से कुपोषित गर्भवती माताओं का पहचान कर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर भेजना सुनिश्चित किया जाए।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

- यह सुनिश्चित किया जाए कि सत्र पर सभी तरह की दवाओं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो तथा प्रत्येक गर्भवती माताओं को प्रथम तिमाही के पश्चात् IFA (180 गोली), Calcium (360 गोली) तथा Albendazol (01 गोली) की गोली दिया जाना है साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि शत् प्रतिशत गर्भवती माताएँ इन दवाओं का सेवन अनिवार्य रूप से करें।
- आशा के द्वारा घर–घर भ्रमण के दौरान प्रत्येक गर्भवती माताओं को उचित परामर्श खासकर पोषण, COVID-19 से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए।
- प्रत्येक गर्भवती माता को प्रसव कराने हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंन्द्रों में भेजना सुनिश्चित करें तथा प्रसव की तिथि नजदीक होने पर उनका Follow-Up अवश्य करें।
- प्रत्येक तृतीय तिमाही वाले गर्भवती माताओं को प्रसव पश्चात् शिशु को 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करें।

इस संबंध में विस्तृत Guidance Note संलग्न है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

29/5/22

(मनोज कुमार)

अनुलग्नकः–यथोक्त।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संचिका सं०: SHSB/MCH/130/2013
पत्र सं०:..................दिनांक.....................

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

1. **सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष**
   जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार
2. **सभी सिविल सर्जन–सह सदस्य सचिव**
   जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषयः स्वास्थ्य संस्थानो तथा VHSND (आरोग्यदिवस) सत्रों पर मातृ स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के संबंध मे।

प्रसंगः भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक D.O. No. 1762075/2020-Imm दिनांक 24.05.2020

महाशया/महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना हैं कि भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक D.O. No. 1762075/2020-Imm दिनांक 24.05.2020 के आलोक में प्रसव पूर्व जाँच, प्रसव पश्चात् जाँच स्वास्थ्य संस्थानो तथा आरोग्य दिवस सत्रों पर किया जाना है।

ज्ञात हो कि COVID-19 के संक्रमण के दौरान नियमित स्वास्थ्य सेवाओं को पुनः शुरू करने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा समय–समय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए है। इसी क्रम में दिनांक 24.05.2020 को भारत सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार ANC/PNC कार्य स्थाई सत्रों के साथ–साथ Outreach सत्रों पर किया जाना है।

Outreach सत्रों पर COVID-19 से संक्रमित Containment zone को छोड़ कर अन्य सभी सत्र स्थलों पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश के साथ–साथ निम्नलिखित बिंन्दुओं को भी लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- आशा के द्वारा प्रत्येक गर्भवती माता को चिन्हित कर लाईन–लिस्टिंग किया जाए तथा सत्र शुरू होने के एक दिन पहले प्रत्येक गर्भवती माता तथा बच्चों को इनके सत्र पर अलग–अलग आने का समय दिया जाए।
- सत्र पर आने वाले प्रत्येक लाभुक COVID-19 से बचाव संबंधित जानकारी ANM के द्वारा दी जाए।
- प्रत्येक लाभुक को सत्र पर मास्क लगाकर तथा एक परिजन के साथ ही आने की सलाह दी जाए तथा सत्र पर शारीरिक दूरी का पालन किया जाए।
- प्रत्येक गर्भवती माता का ANC (वजन, बी.पी., हिमोग्लोबिन तथा यूरिन टेस्ट) तथा धात्री माताओं का स्वास्थ्य जाँच COVID-19 के संबंध में दिये गए दिशा निर्देश के अनुसार किया जाए।
- उच्च जोखिम तथा गंभीर रूप से कुपोषित गर्भवती माताओं का पहचान कर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर भेजना सुनिश्चित किया जाए।

- यह सुनिश्चित किया जाए कि सत्र पर सभी तरह की दवाओं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो तथा प्रत्येक गर्भवती माताओं को प्रथम तिमाही के पश्चात् IFA (180 गोली), Calcium (360 गोली) तथा Albendazol (01 गोली) की गोली दिया जाना है साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि शत् प्रतिशत गर्भवती माताएँ इन दवाओं का सेवन अनिवार्य रूप से करें।
- आशा के द्वारा घर–घर भ्रमण के दौरान प्रत्येक गर्भवती माताओं को उचित परामर्श खासकर पोषण, COVID-19 से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए।
- प्रत्येक गर्भवती माता को प्रसव कराने हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंन्द्रों में भेजना सुनिश्चित करें तथा प्रसव की तिथि नजदीक होने पर उनका Follow-Up अवश्य करें।
- प्रत्येक तृतीय तिमाही वाले गर्भवती माताओं को प्रसव पश्चात् शिशु को 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करें।

इस संबंध में विस्तृत Guidance Note संलग्न है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,
ह०/–

(मनोज कुमार)

अनुलग्नकः–यथोक्त।
ज्ञापांक 1108 दिनांक 29/5/2020
प्रतिलिपिः

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
2. अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।
3. निदेशक, समेकित बाल विकास परियोजना, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला समुदायिक उत्प्रेरक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, बिहार को सहयोग करने हेतु सूचनार्थ।

29/5/20

कार्यपालक निदेशक

मातृ स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित गाइडेन्स नोट :-

आंचलिक वर्गीकरण (COVID 19 जोखिम मूल्यांकन पर आधारित):

जिले / उप-मंडल / नगर निगम / वार्ड या किसी अन्य उपयुक्त प्रशासनिक इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है:

- ग्रीन ज़ोन: कोई सक्रिय **COVID -19** मामले नहीं
- लाल और नारंगी क्षेत्र: सक्रिय **COVID -19** मामलें

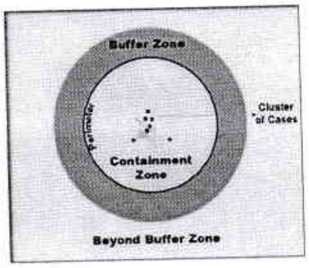

जिन क्षेत्रों में COVID-19 मामलों की रिपोर्ट की गई है, उन्हें CONTAINMENT ZONE के रूप में वर्गीकृत किया गया है और COVID-19 प्रसार के जोखिम वाले क्षेत्रों को बफर ज़ोन के रूप में कहा जाता है।

कार्यक्रम की गतिविधियां	Containment & Buffer Zone	Beyond Buffer Zone & Green Zone
प्रसव पूर्व जाँच	1. VHSND तथा UHSND का संचालन नही होगा 2. PMSMA का संचालन नही होगा 3. प्रसव पूर्व सेवायें केवल संस्थान में आने वाले लाभार्थियो के लिए होगा 4. उच्च जोखिम महिलाओं का लाइन लिस्ट कर फोन के माध्यम से follow-up किया जाना है तथा लाभार्थी को Containment Zone के बाहर वाले संस्थान में जाँच के लिए भेजा जा सकता है। 5. स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा कोविड वारियर द्वारा घर–घर भ्रमण के दौरान गर्भवती माताओं की जानकारी लिया जायेगा तथा उनके जरूरत के हिसाब से ये लोग एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित	1. प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात् सेवाओं का संचालन निर्बाध रूप से होगा। 2. PMSMA का संचालन पूर्व की भांति होगा। 3. VHSND तथा UHSND नये रूप में संचालित होगा। • VHSND तथा UHSND सत्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने हेतु Staggered गतिविधि की जायेगी। • प्रत्येक सत्र हेतु 5 से 10 लाभार्थियो को प्रति घंटे के हिसाब से बुलाया जाय। • अगर जगह की कमी हो तो वैक्लपिक सत्रों की व्यवस्था की जाय जिससे शारीरिक दूरी का पालन किया जा सके।

सरिता

Dr. SARITA
State Programmer Officer
State Health Society
Bihar, Patna

	करेंगे की प्रत्येक गर्भवती तथा धातृ माताओं को IFA, कैल्शियम तथा एलबेंडाजोल की गोली का वितरण किया जाय। 6. यदि आवश्यक हो ता कोविड वारियर को इन सारे बिन्दुओं पर प्रशिक्षित किया जा सकता है।	• अगर सत्र पर लाभार्थियो की संख्या अधिक है तो सत्र को 2 दिनो में विभाजित किया जाए।
प्रसव संबंधित सेवायें	1. सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रसव की सुविधा प्रदान की जाए। 2. प्रसव के समय गर्भवती माताओं के साथ प्रसव सखी (Birth Companion) को ना रखें।	1. सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रसव की सुविधा प्रदान की जाए। 2. प्रसव के समय गर्भवती माताओं के साथ प्रसव सखी (Birth Companion) Beyond Buffer Zone : के रखने से परहेज करें तथा Green Zone में यह अनुमति दी जा सकती है।
प्रसव पश्चात् सेवायें	1. प्रसव पश्चात् फोन के माध्यम से follow-up की जाय। 2. स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा कोविड वारियर द्वारा घर–घर भ्रमण के दौरान गर्भवती माताओं की जानकारी लिया जायेगा तथा उनके जरूरत के हिसाब से वे लोग एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे की प्रत्येक धातृ माताओं को IFA तथा कैल्शियम का वितरण किया जाय। 3. यदि आवश्यक हो तो कोविड वारियर को इन सारे बिन्दियों पर प्रशिक्षित किया जा सकता है।	1. निर्बाध रूप से प्रसव पश्चात् सेवाऐं प्रदान की जाए तथा आशा के द्वारा गृह भ्रमण को जारी रखा जाए।
सुरक्षित गर्भपात (CAC)	वैसे लाभार्थी जो स्वयं इस सेवा की मांग करते है, उनको MTP Act के तहत यह सेवा प्रदान की जाए।	गर्भपात संबंधित सेवाएँ (Induced -- Surgical/Medical Method and Spontaneous Abortion) पूर्व की भाँति निर्बाध रूप से जारी रहेगी।

नोटः– गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं को उनकी COVID-19 स्थिति के बावजूद प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में लाभार्थी आवश्यक सेवाओं से वंचित नहीं होना चाहिए।

सरिता
30/05/2020
Dr. SARITA
State Programmer Officer
State Health Society
Bihar, Patna